

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/5417

दिनांक - 20.06.25

प्रार्थी बनाम

अप्रार्थीगण

1 तिलाराम पुत्र  
खुमाराम जाति माली  
निवासी सर का पार,  
बांदरा तसहील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

1 सवाईराम 2 भूराराम 3 हरचन्द पिसरान लुणाराम 4 हथू पत्नि  
लुणाराम 5 सवाईराम 6 भूराराम 7 माधाराम 8 जसू पिसरान  
प्रहलादराम 9 बक्सू पत्नि प्रहलादराम 10 हुकमाराम 11 ताराराम  
पिसरान कानाराम 12 भूराराम पुत्र हराराम 13 देराजराम 14  
ठाकराराम पिसरान कुम्भाराम 15 चेतनराम पुत्र शम्भूराम 16  
सवाईराम 17 मोतीराम पिसरान लक्ष्मणराम 18 कुम्भाराम पुत्र  
जमनाराम 19 सवाईराम 20 माधूराम पिसरान शम्भूराम 21  
तुलछाराम पुत्र बागाराम 22 वीराराम 23 राजूराम 24 किशनाराम  
पिसरान उदाराम 25 सवाईराम पुत्र निम्बाराम 26 हरचन्द्रराम 27  
टीकाराम पिसरान जोधाराम 28 बाबूलाल पुत्र भंवराराम 29  
बालाराम 30 वीरमाराम 31 उदाराम 32 मेवाराम 33 नरेन्द्र  
पिसरान हराराम 34 हुकमाराम पुत्र लाभूराम 35 भैराराम 36  
बगताराम पिसरान पोकराराम 37 वीराराम पुत्र भंवराराम 38  
पदमाराम 39 निम्बाराम पिसरान पंचाणाराम 40 मगाराम 41  
बाबूराम 42 शेराराम पिसरान हंजारीराम 43 जगमालराम 44  
रमेश पिसरान भंवराराम 45 ताजाराम पुत्र चिमाराम 46 गोपाराम  
47 गुणेश पिसरान गोरधनराम जाति माली निवासी कवास, सर  
का पार तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 761/2024 दिनांक- 16/06/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सर का पार पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1141/741 रकबा 0.5099 हैक्टयर, खसरा संख्या 1145/738  
रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा संख्या 1147/739 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा संख्या  
1149/740 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा संख्या 1154/691 रकबा 1.2302 हैक्टयर, खसरा  
संख्या 1295/1136 रकबा 0.1374 हैक्टयर, खसरा संख्या 1296/1136 रकबा 0.6638 हैक्टयर,  
खसरा संख्या 1297/1136 रकबा 0.3400 हैक्टयर, व मौजा दुण्डा पटवार क्षेत्र कवास तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 929/421 रकबा 0.6151 हैक्टयर, भूमि के चारो  
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को  
कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के  
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/-  
अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया  
जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,

उप खण्ड अधिकारी,


बाड़मेर

दिनांक- 20.06.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5418-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा व पटवारी कवास तहसील ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण तिलाराम पुत्र खुमाराम जाति माली निवासी सर का पार, बांदरा तसहील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण सवाईराम पुत्र लुणाराम जाति माली निवासी सर का पार, बांदरा तसहील बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर।

  
उप खण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर